निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1008) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015

सं0 म०भो०/को०–ES-124 / 2015—1197

शिक्षा विभाग

————————

संकल्प

31 अगस्त 2015

विषयः–मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया–सह–सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि बढ़ोतरी के संबंध में ।

मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त 2015 में 71,426 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में रसोईया–सह–सहायक के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, समिति में कुल 2,28,000 (दो लाख अठाईस हजार) रसोईया–सह–सहायक कार्यरत हैं। प्रत्येक रसोईया–सह–सहायक को प्रति माह 1000/– (एक हजार रूपया) रू० मानदेय के रूप में दिया जाता है, तथा एक वर्ष में 10 माह का ही मानदेय दिया जाता है।

2. इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं उनके उचित पोषण के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, मदरसा/मकतब/संस्कृत विद्यालय/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित

वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में वर्ग–I से वर्ग–VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका–पकाया मध्याह्न भोजन रसोईया–सह–सहायक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालयों में खाना बनाने के दौरान खतरा बना रहता है। साथ हीं, ये सभी समाज के कमजोर वर्ग से एवं कम आमदनी वाले परिवार के सदस्य होते हैं। इस पृष्ठभूमि में आवश्यकता प्रतीत हुआ कि रसोईया –सह– सहायक के मानदेय में राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि बढ़ोतरी किया जाय।

3. कुल कार्यरत रसोईया–सह–सहायक की संख्या = 2,28,000.00

रसोईया–सह–सहायक के मानदेय में वृद्धि = 25 प्रतिशत

= 1000 x 25 /100 = 250.00

बढ़ोतरी करने के पश्चात चालू वित्तीय वर्ष चार माह बीत चुका है शेष 7 माह के लिए कुल देय राशि=228000x250x7= 39,90,00,000.00 (उनतालीस करोड़ नब्बे लाख़) रू॰ राज्य सरकार द्वारा राज्यांश मद के अन्तर्गत देय राशि।

रसोईया–सह–सहायक के मानदेय में भारत सरकार द्वारा 750.00 रू॰ एवं राज्य सरकार द्वारा संगत राशि 250.00 रू॰ प्रति माह प्रति रसोईया–सह–सहायक को दिया जाता है। इस तरह भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनो मिलाकर 1000.00 रू॰ प्रति रसोईया प्रति माह दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा उनके निर्धारित मानेदय पर 25 प्रतिशत वृद्धि राज्य भत्ता के रूप में करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा देय संगत राशि के अलावे 250.00 रू॰ की वृद्धि की गयी है। अब रसोईया–सह– सहायक का मानेदय एक हजार रू॰ की जगह 1250 रू॰ प्रति माह देय होगा, **जो एक अगस्त 2015 के प्रभाव से लागू होगा।**

3. उपर्युक्त से संबंधित स्वीकृति दिनांक 22.08.215 के मंत्रिपरिषद की बैठक में दी जा चुकी है। संचिका संख्या म॰भो॰/को॰–ES-124 / 2015 के पृष्ठ संख्या 18/प पर स्वीकृति से संबंधित आदेश है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 प्रतिलिपि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) को प्रेषित की जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुनिल कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1008-571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in